



बिहार राज्य भंडार निगम

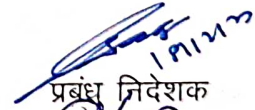
बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक परिसर, पटना-1

अति अल्पकालीन सूचना

मुख्य अभियंता के पद पर संविदा पर कार्य करने हेतु अस्थायी पैनल निर्माण के लिए सूचना

बिहार राज्य भंडार निगम अन्तर्गत मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने हेतु सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्थानों से मुख्य अभियंता के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का पैनल निगम स्तर पर निर्माण कर उसी पैनल से निगम स्तरीय समिति के माध्यम से आवश्यकतानुसार संविदा पर नियोजन किया जाना है। अतएव बिहार राज्य भंडार निगम (पता- बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना-01) सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों से मुख्य अभियंता (असैनिक) पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी, जिनकी आयु दिनांक 01.01.2024 को 62 वर्ष से कम हो, से पैनल निर्माण के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन आनलाईन अथवा निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 28.12.2023 से 06.01.2024 तक अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित किया जाता है।

- 1) विहित प्रपत्र इस निगम के विभागीय वेबसाईट www.bswc.co.in एवं कार्यालय सूचना पट्ट पर उपलब्ध है।
- 2) आवेदन पत्र निगम के वेबसाईट www.bswc.co.in पर ऑनलाईन अथवा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से बिहार राज्य भंडार निगम, बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना 800001 में समर्पित किया जा सकता है। उपर्युक्त तिथि व समयावधि तक विहित प्रपत्र में उक्त माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा।
- 3) पैनल हेतु पात्रता/अहर्ता के संबंध में निगम के उक्त वेबसाईट पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- 4) विस्तृत जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट www.bswc.co.in के HRD Link का अवलोकन किया जाए।
- 5) प्रासंगिक संदर्भ में अन्य कोई जानकारी हेतु बिहार राज्य भंडार निगम के मोबाईल संख्या 07779836584 पर उक्तावधि में कार्यालय कार्य दिवस में सम्पर्क किया जा सकता है।


प्रबंध निदेशक
18/12/23

मुख्य अभियंता के पद पर संविदा पर कार्य करने हेतु अस्थायी पैनल निर्माण के लिए सूचना

निदेशक पर्वद द्वारा निर्णित है कि निगम के माध्यम से " सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता का पैनल तैयार किया जाए तथा उसी पैनल से संविदा पर कार्य लिया जाए"।

उपर्युक्त के आलोक में बिहार राज्य भंडार निगम (पता- बी-2, प्रथम तल, मौर्यलोक, पटना-01) सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थानों से सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (असैनिक) जिनकी आयु दिनांक 01.01.2024 को 62 वर्ष से कम है, से पैनल निर्माण के लिए Online आवेदन विहित प्रपत्र में आमंत्रित करता है:-

क्र.	पदनाम	पद की संख्या	वर्ग	अनुभव -अहर्ता
1.	मुख्य अभियंता (असैनिक)	01	अनारक्षित	1. सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी। 2. भवन/औद्योगिक भवन/प्री इन्जिनियर्ड संरचनाओं के निर्माण कार्य का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव।

Online आवेदन भरने हेतु दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 08.01.2024 के अपराह्न 03:00 बजे तक तिथि निर्धारित है। आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि के लिए आवेदक जवाबदेह होंगे।

अर्हता एवं शर्तें निम्नवत् है:-

- चयन का आधार:-** सरकारी/ अर्द्ध सरकारी संस्थान से मुख्य अभियंता (असैनिक) के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी का चयन पैनल में किया जायेगा।
- पैनल:-** पैनल बिल्कूल अस्थायी होगा एवं सम्प्रति इसकी वैधता एक वर्ष की होगी। आवश्यकतानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। पैनल का निर्माण निगम स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा किया जायेगा।
- आयु सीमा:-** अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना दिनांक 01.01.2024 के आधार पर की जायेगी। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2024 को 62 वर्ष से कम होना चाहिए।
- योग्यता एवं अनुभव:-**
 - मुख्य अभियंता (असैनिक) पद के आवेदक उक्त पद से सेवानिवृत्त अधिकारी होंगे।
 - उक्त पद विशेष पर पाँच वर्षों तक कार्य कर चुके आवेदक को वरीयता दी जायेगी।
- वरीयता आधार:-** पैनल निर्माण में निम्नलिखित पहलुओं पर वरीयता दी जायेगी:-
(क) बिहार सरकार एवं इसके अधीनस्थ अर्द्ध सरकारी संस्थान/ लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।

- (ख) मुख्य अभियंता (असैनिक) पद पर अधिक वर्षों के कार्य अनुभव धारक।
(ग) भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडारण निगम, राज्य भंडार निगम एवं राज्य खाद्य निगम से सेवानिवृत्त पदाधिकारी।
(घ) सार्वजनिक – निजी सहभागिता (PPP Model) परियोजना / प्रकल्पों के कार्यान्वयन का अनुभव धारक।

6) **संविदा:-**

निर्मित पैनल से संविदा पर कार्य करने के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी से आवश्यकतानुसार अनुबंध किया जायेगा। प्रबंध निदेशक / सक्षम प्राधिकार द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं सम्यक निर्णय लिया जायेगा।

7) **मानदेय:-**

(क) सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड पे तथा उसपर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उसपर सेवानिवृत्ति तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा वही राशि संविदा मानदेय के रूप में प्रति माह अनुमान्य होगा परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।

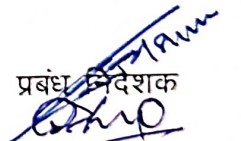
(ख) अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक जिनका नियोजन निर्मित पैनल से संविदा पर किया जायेगा को सेवानिवृत्ति के समय अनुमान्य पे बैंड का प्रारम्भिक वेतन + उस प्रारम्भिक वेतन पर नियोजन की तिथि को अनुमान्य महंगाई भत्ता की राशि का योगफल के समतुल्य होगा परन्तु इस प्रकार से परिगणित मानदेय सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन एवं उसपर अनुमान्य महंगाई भत्ता के योगफल से अधिक नहीं होगा। अधिक होने की स्थिति में सेवानिवृत्ति के समय वेतन + महंगाई भत्ता के योगफल ही पारिश्रमिक के रूप में अनुमान्य होगा। इस प्रकार निर्धारित मानदेय संविदा अवधि में स्थिर रहेगा।

इस प्रकार अनुबंध परिलब्धियों में सभी भत्ता समाहित होगा।

सेवानिवृत्त एवं संविदा नियोजन के बीच वेतन / पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

- 8) मार्ग व्यय का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार देय होगा परन्तु संस्थान का वाहन प्रयोग किए जाने की स्थिति में मार्ग व्यय का भुगतान नहीं किया जायेगा।
9) सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को पी.पी.ओ. की प्रति अनिवार्यतः समर्पित करना होगा। अर्द्ध सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त आवेदक को सेवानिवृत्ति के समय पे बैंड का प्रमाणक देना होगा।
10) सेवानिवृत्त आवेदक को अन्तिम पदस्थापन संस्थान से निर्गत स्वच्छता प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
11) पैनल में सम्मिलित होने हेतु संबंधित आवेदक को असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा।
12) निर्मित पैनल से संविदा पर कार्यरत पदाधिकारी को सरकारी सेवकों की सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेंगी।

- 13) निर्मित पैनल से नियोजित पदाधिकारी को सरकारी सेवकों को देय सुविधायें अनुमान्य नहीं होगा।
- 14) वैसे आवेदक जिनपर कोई निगरानी का मामला / विभागीय कार्यवाही / गंभीर आरोप विचाराधीन / दण्डअध्यारोपित हो / अपराधिक मामला दर्ज हों का चयन पैनल में नहीं किया जायेगा।
- 15) निर्मित पैनल से संविदा पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे।
- 16) संविदा पर नियोजन के उपरांत यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- 17) निर्मित पैनल में किसी भी प्रकार का विवाद/शिकायत पर प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भंडार निगम/सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
- 18) बिना कारण बताये प्रकाशित सूचना में किसी भी प्रकार का संशोधन करने/इसे स्थगित करने एवं रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को होगा जो अन्तिम एवं मान्य होगा।
- 19) आवेदन के साथ सेवानिवृत्ति एवं अन्य संबंधित कागजातों/प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 20) पूर्ण आवेदन यथावश्यक अभिलेखों के साथ दिनांक 28.12.2023 से दिनांक 06.01.2024 के अपराहन 03:00 बजे तक ही स्वीकार्य होगा।
- 21) निर्मित पैनल के आधार पर चयन समिति द्वारा संविदा पर नियोजन हेतु अनुशंसित सुयोग्य पदाधिकारी को उनके द्वारा समर्पित कागजात/अभिलेखों के सत्यापन हेतु अलग से सूचना दी जायेगी।

प्रबंध निदेशक

18/1/23

पैनल निर्माण हेतु आवेदन पत्र

सेवामें,

प्रबंध निदेशक,
बिहार राज्य भंडार निगम,
बी-2, प्रथम तल मौर्यलोक, पटना-01

स्व अभिप्रमाणित
पासपोर्ट साईज फोटो

1. आवेदित पद कानाम:-
2. आवेदक का नाम:-
(क) हिन्दी में :-
(ख) अंग्रेजी में :-
3. पिता/पति कानाम :-
4. पुरुष / महिला :-
5. जन्मतिथि (प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें) :-
6. उम्र (दिनांक 01.01.2024 के अनुसार):-
7. स्थायी पता :-
.....
8. पत्राचार का पता :-
.....
9. किस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं पूर्ण विवरण :
मुख्य अभियंता पद विशेष पर कार्य अनुभव वर्षों में:-
10. भवन/औद्योगिक भवन/प्रीइन्जिनियर्ड संरचनाओं
के निर्माण कार्य का अनुभव (वर्षों में) :-.....
11. सेवाकाल में किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है अथवा नहीं की विवरणी फलाफल सहित:-
.....
12. वर्तमान में किसी संस्थान में यदि कार्यरत हैं उसका पूर्ण विवरण :-
.....
13. वर्तमान में आवेदक के विरुद्ध कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन है/दण्ड
अध्यारोपित है/अपराधिक मामला दर्ज है अथवा नहीं (यदि दर्ज हो तो उसकी पूर्ण विवरणी दें)
.....
14. आवेदक का पहचान प्रमाण पत्र:-
(आधार/पैन/डी.एल./वोटर कार्ड में से कोई एक की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
15. आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र:-
(आधार/पैन/डी.एल./वोटरकार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र में से कोई एककी स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें)
16. मोबाईल संख्या:-
17. ईमेल आई. डी.
18. बायोडाटा (अनुलग्नक प्रपत्र मेंसंलग्न करें)

घोषणा

मेरे द्वारा दिये गये उपर्युक्त सभी विवरणी सही एवं सत्य है तथा पूर्व कार्य सम्बद्ध विभागीय साक्ष्यों के आधार पर समर्पित है। किसी प्रकार की तथ्यात्मक कमी एवं गलत तथ्य के लिए मैं कानूनी कार्रवाई का भागीदार होऊँगा।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

पैनल निर्माण हेतु बायोडाटा

I. आवेदित पद का नाम						
आवेदक का नाम						
पिता/पति का नाम						
जन्म तिथि (01.01.2024 के अनुसार 62 वर्ष या कम)						
पैन न.						
II. शैक्षणिक योग्यता की विवरणी (संबंधित प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)						
क्रम संख्या	योग्यता	संस्थान का नाम		उत्तीर्ण वर्ष		
1.						
2.						
3.						
4.						
III. कार्य अनुभव की विवरणी (संबंधित कागजात/प्रमाण पत्र की स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जाय)						
क्रम	पदनाम	संस्था का नाम	पदस्थापन स्थान	पदस्थापन अवधि (—से —तक)		कुल वर्षों में
IV जमा किये जानेवाले कागजातों/प्रमाण पत्रों की सूची						
क्रम संख्या	कागजातों/प्रमाण पत्रों की सूची					

V. अन्य सूचना (यदि कोई हो):-

आवेदक का हस्ताक्षर

- नोट: 1) आवेदक PDF अथवा JPG Format में कागजातों को कृपया संलग्न करें।
2) आवश्यकतानुसार आवेदक अतिरिक्त पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं।